भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 345

सोमवार, 24 जून, 2019/3 आषाढ़, 1941(शक)

बंधुआ मजदूर

345. डॉ रमापति राम त्रिपाठी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में बंधुआ मजदूरों की राज्यसंघ/ राज्यक्षेत्रवार- अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) देश में बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए क्या पहल की गई है और इसके परिणामस्वरूप राज्यसंघ/ राज्यक्षेत्रवार- कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य में कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी निधि जारी और उपयोग की गई है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क)और(ख) : अपेक्षित सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग): यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अधीन आता है।

(घ): बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को जारी की गई निधियां –

(लाख रूपये में)

2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
221.60	260.70	664.50	253.50

*

*****

अनुबंध

दिनांक 24.06.2019 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अध्यादेश के अंतर्गत जिसके स्थान पर बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लाया गया था दिनांक 25 अक्टूबर, 1975 से देशभर में कानून द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। जब कभी भी बंधुआ मजदूर का पता लगेगा, ऐसे व्यक्तियों की पहचान पुनर्वास के लिए की जाएगी। कुल पहचाने गए तथा छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या 3,13,687 है और दिनांक 31.03.2019 तक पुनर्वासित किए गए कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या 2,93,725 है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए गया है:-

संघ / राज्य का नाम	**बंधुआ मजदूरों की संख्या**	
	पहचाने तथा छुड़ाए गए	पुनर्वासित
आंध्र प्रदेश	38,141	31,687
अरुणाचल प्रदेश	3,526	2992
असम	12	12
बिहार	17,886	17,068
छत्तीसगढ़	3548	3548
गुजरात	64	64
हरियाणा	594	92
झारखंड	314	314
कर्नाटक	66,281	60,029
केरल	823	710
मध्य प्रदेश	13,319	12,394
महाराष्ट्र	1,404	1,325
पुडुचेरी	09	09
उड़ीसा	51,441	48,313
पंजाब	252	252
राजस्थान	7,872	6,715
तमिलनाडु	65,573	65,573
उत्तर प्रदेश	42279	42279
उत्तरांचल	5	5
पश्चिम बंगाल	344	344
कुल	*3,13,687	2,93,725

* बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए नहीं मिले या तो 19962 उनकी मृत्यु हो गई या अपना पता दिए बिना स्थान छोड़कर चले गए।

****